

समक्ष, उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।

30 अगस्त 2022

समक्ष:- माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी।

रिट याचिका(एम/एस) संख्या-1495 वर्ष 2022

मध्य :

इकबाल हसनयाचिकाकर्ता।

(द्वारा अधिवक्तागण श्री कुर्बान अली एवं सुश्री लुबना जहां)

एवं :

उत्तराखण्ड राज्य व अन्यउत्तरदातागण।

(उत्तराखण्ड राज्य की ओर से स्थाई अधिवक्ता श्री योगेश तिवारी एवं श्री संदीप कुमार तथा प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री पंकज पुरोहित एवं श्री अभिलाश नैनवाल)

निर्णय

पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

2. याचिकाकर्ता ने तहसीलदार चमोली द्वारा उत्तरदाता संख्या 4 के पक्ष में पारित नामांतरण आदेश दिनांकित 06.11.2012 को चुनौती दी है। उसके द्वारा उत्तरदाता संख्या 4 की ओर से योजित पुनरीक्षण संख्या-147-2016-2017 में राजस्व परिषद के निर्णय दिनांकित 30.05.2022 को भी चुनौती दी है, जिसमें सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी चमोली के आदेश दिनांकित 30.06.2017 को निरस्त किया गया तथा तहसीलदार के आदेश दिनांकित 06.11.2023 को पुष्ट किया गया था।

3. याचिकाकर्ता के अनुसार, वह और उसके भाई के पास ग्राम क्षेत्रपाल, परगना दसौली, जिला चमोली में 3 नाली 8 मुट्ठी जमीन है, जिसमें दोनों भाईयों की हिस्सेदार थी, उनके भाई महफूज हसन द्वारा अपना संपूर्ण हिस्सा नारायण सिंह एवं पूरण सिंह को विक्रय पत्र दिनांकित 22.09.1983 के माध्यम से बेच दिया तथा पूरण सिंह द्वारा नारायण सिंह को संपूर्ण कय की गई भूमि को प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया। नारायण सिंह द्वारा उक्त भूमि पर 10 लाख रूपये का उत्तर प्रदेश वित्त निगम से ऋण लेकर उस पर एक टंडे भंडारण की स्थापना की गई। जबकि ऋण का भुगतान न किए जाने के कारण

संपूर्ण भूमि मय भवन यू0पी0एफ0सी0 ने नीलामी द्वारा धारा-29 राज्य वित्त निगम अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीलामी में बेच दी गई, जो कि सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से उत्तरदाता संख्या 4 द्वारा क़य की गई।

4. याचिकाकर्ता की ओर से यह भी तर्क लिया गया कि नियमानुसार दो और आधा नाली की आवश्यकता ही टंडे भंडारण को बनाए जाने हेतु थी। चूंकि याचिकाकर्ता के भाई से खरीदी गई भूमि यू0पी0एफ0सी0 से वित्तीय सहायता प्राप्त करने बाबत पर्याप्त नहीं थी। इसलिए नारायण सिंह द्वारा विक्रय पत्र दिनांकित 06.03.1987 याचिकाकर्ता से धोखे से इस शर्त पर करवाया गया कि वह टंडे भंडारण की स्थापना के पश्चात भूमि याचिकाकर्ता को वापस कर देगा। याचिकाकर्ता का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। विक्रय पत्र के निष्पादन के पश्चात भी याचिकाकर्ता विवादित भूमि पर काबिज है। दिनांक 12.08.2022 को एक पंजीकृत इकरारनामे से जमीन पर अपना अधिकार त्याग दिया है, जिसके बाबत दिनांक 06.03.1987 को विक्रय पत्र निष्पदित किया गया था। जिस कारण उत्तरदाता संख्या 4, जिसके द्वारा उक्त भूमि यू0पी0एफ0सी0 से सार्वजनिक नीलामी द्वारा दिनांक 16.10.1999 को खरीदा जाना दर्शाया गया है, को कोई स्वामित्व नहीं मिल सका।

5. उत्तरदाता सं0 4 जिसके द्वारा विवादित भूमि यू0पी0एफ0सी0 से खरीदा जाना दर्शाया है, द्वारा राजस्व अभिलेखों में अपना दाखिल-खारिज कराए जाने बाबत आवेदन किया गया। उसका आवेदन प्रारंभिक स्तर पर ही तहसीलदार के आदेश दिनांकित 24.09.2022 इस आधार पर खारिज किया गया कि यू0पी0एफ0सी0 का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है। एक और आधार जो दर्शाया गया है वह यह कि उक्त भूमि नारायण सिंह नेगी के हिस्से से ज्यादा यू0पी0एफ0सी0 द्वारा बेची गई है।

6. उत्तरदाता संख्या 4 द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांकित 24.09.2022 के विरुद्ध सहायक कलेक्टर के यहां अपील योजित की गई, जो कि स्वीकृत कर उक्त मामले को पुनः तहसीलदार को भेजा गया। तत्पश्चात् तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांकित 06.11.2013 के माध्यम से उत्तरदाता संख्या 4 का दाखिल-खारिज आवेदन स्वीकार किया गया।

7. याचिकाकर्ता द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांकित 06.11.2013 के विरुद्ध अपील संख्या-39/2015-16 योजित की गई, जो कि आंशिक रूप से

सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, चमोली द्वारा निर्णय दिनांकित 30.06.2017 के माध्यम से स्वीकार करते हुए तहसीलदार के आदेश को संशोधित किया गया।

8. सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30.06.2017 को उत्तरदाता संख्या 4 द्वारा पुनरीक्षण योजित कर चुनौती दी गई, जिसे कि राजस्व मंडल द्वारा अपने निर्णय दिनांकित 30.05.2022 में स्वीकार करते हुए सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के आदेश को निरस्त करते हुए तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.11.2013 को पुष्ट किया गया।

9. वर्तमान में याचिकाकर्ता ने राजस्व परिषद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30.05.2022 व तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.11.2013 को चुनौती दी है।

10. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया कि सहायक कलेक्टर द्वारा अपील में पारित आदेश के विरुद्ध उत्तरदाता सं0 4 द्वारा योजित पुनरीक्षण पोषणीय नहीं था तथा यह भी कथन किया कि उक्त वाद में पुनरीक्षण का उपाय उपलब्ध नहीं है। पक्षकार अपील योजित कर सकते थे। अपने उक्त तर्क के समर्थन में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय विजय कुमार एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य योजित कर तथा उक्त मामले के पैरा संख्या- 6 को पुनः प्रस्तुत किया गया।

“6. धारा-219 उक्त अधिनियम के पढ़ने से यह दर्शित होता है कि राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेशों एवं कार्यवाही के संबंध में पुनरीक्षण को सुनने एवं निर्धारित करने की शक्ति बोर्ड या आयुक्त या अपर आयुक्त, या अन्य उच्च न्यायालयों को विधान द्वारा प्रदत्त की गई है, जिसमें कोई अपील नहीं होती है या जहां अपील होती है लेकिन इसे प्राथमिकता नहीं दी गई है कानून की पदावली का प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी क्षेत्राधिकार का मापदंड उच्चतम न्यायालय की यह संतुष्टि आदेश की वैधता एवं औचित्य होगी या अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा मामले में की गई कार्यवाही होगी, यहां, अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पुनरीक्षण की पोषणीयता के प्रश्न पर पक्षकार द्वारा अपील में पूर्व से ही चुनौती दी जा चुकी है तथा अपील द्वारा उसका रास्ता तय भी कर दिया गया है। कानून की पदावली से यह स्पष्ट है कि अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पुनरीक्षण राजस्व बोर्ड के समक्ष नहीं किया जा सकता, पक्षकार पुनः

राजस्व बोर्ड के समक्ष अंतर्गत धारा 219(1) अधिनियम के अंतर्गत पुनः पुनरीक्षण योजित नहीं कर सकता।

11. उक्त निर्णय यह भी कहता है कि एक पक्ष जिसने अपील दायर की है उसे पुनरीक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। इस प्रकार यह याचिकाकर्ता की मदद नहीं करता है। वर्तमान मामले में, सहायक कलेक्टर के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा अपील योजित की गई थी। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दृष्टिकोण के अनुसार उत्तरदाता संख्या 4 द्वारा योजित पुनरीक्षण पोषणीय नहीं कहा जा सकता। चूंकि उत्तरदाता संख्या 4 के द्वारा तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध अपील योजित नहीं की थी।

12. भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 210 यह निर्धारित करती है। विभिन्न राजस्व प्राधिकरणों के आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। धारा 211 प्रथम अपील से संबंधित है प्रत्येक मूल आदेश के विरुद्ध अपील अधिकृत न्यायालय में अंतर्गत धारा-210 किसी भी मामले में योजित की जा सकती है, जब तक कि उक्त आदेश अंतिम रूप से सम्बद्ध न हो। धारा-210 एवं 211 यू0पी0 राजस्व अधिनियम 1901 इस प्रकार है:-

210. जिन न्यायालयों में अपील होती है- (1) अपील इस अधिनियम के तहत इस प्रकार होगी।

(ए) किसी सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित आदेशों से अभिलेख अधिकारी को।

(बी) (i) एक कलेक्टर या एक सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी या उप-प्रभाग के प्रभारी सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों से आयुक्त को।

(ii) सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी या तहसीलदार द्वारा पारित आदेशों से कलेक्टर को।

(सी) [* * *]

(सी) [* * *]

(2) [* * *]

(3) [* * *]

(4) [* * *]

(5) [* * *]

[(6) धारा 28, 33, [* * *] , 39 या 40 के तहत पारित आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी।

211. प्रथम अपील— जब तक इस अधिनियम द्वारा किसी आदेश को स्पष्ट रूप से अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत आयोजित किसी भी कार्यवाही से पारित प्रत्येक मूल आदेश की सुनवाई के लिए धारा-210 के तहत अधिकृत न्यायालय में अपील की जा सकती है।

13. उक्त अधिनियम की क्रमशः धारा 212 और 213 द्वितीय अपील एवं तृतीय अपील के संबंध में उल्लेखित करते हैं। फिर भी, हालांकि जिन क्षेत्रों के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 प्रावधान लागू होते हैं, उन वर्गों में उपरोक्त धाराएं लागू नहीं होती हैं।

14. विद्वान स्थायी अधिवक्ता यह तर्क प्रस्तुत किया है कि जिला चमोली में दिनांक 01.07.1969 से उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि जिले में सुधार अधिनियम, 1950 लागू किया गया था। इसलिए, द्वितीय और तृतीय अपील के प्रावधान जो कि धारा 212 व 213 में निहित है चमोली जिले में लागू नहीं होंगे।

15. धारा 219 भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 पुनरीक्षण से संबंधित है, जो निम्नानुसार है:—

[219. पुनरीक्षण – (1)बोर्ड या आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त या कलेक्टर या अभिलेख अधिकारी, या बंदोबस्त अधिकारी, अपने अधीनस्थ किसी राजस्व न्यायालय द्वारा तय किए गए या कार्यवाही के किसी मामले के दायर रिकॉर्ड की मांग कर सकते हैं, जिसमें कोई अपील नहीं होती है या जहां एक अपील निहित है, लेकिन पारित आदेश या आयोजित कार्यवाही की वैधता या औचित्य के रूप में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से पंसद नहीं किया गया है और यदि ऐसा अधीनस्थ राजस्व प्रतीत होता है—

(ए) एक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है, जो इसमें निहित नहीं है, या

(बी) निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में विफल रहा, या

(सी) अवैध रूप से या तथ्य की अनियमितता के संबंध में अधिकारों का प्रयोग करते हुए बोर्ड या आयुक्त या अतिरिक्त आयुक्त या कलेक्टर राजस्व अधिकारी तथा निपटान अधिकारी, जो भी वह उचित पाते हैं, आदेश पारित कर सकते हैं।

(2) यदि इस धारा के तहत किसी व्यक्ति द्वारा बोर्ड, या आयुक्त, या अपर आयुक्त या कलेक्टर या अभिलेख अधिकारी या बंदोबस्त अधिकारी को कोई आवेदन दिया गया है, तो उस संबंध में पुनः कोई अन्य आवेदन उनके द्वारा नहीं लिया जाएगा।

16. पूर्वोक्त की धारा 219 उपरोक्त अधिनियम के अवलोकन से पता चलता है कि एक व्यक्ति जो कि राजस्व प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश से व्यथित है। उक्त आदेश को चुनौती देते हुए राजस्व अधिनियम के अंतर्गत पुनरीक्षण दाखिल कर सकता है। लेकिन, दो शर्तों का होना आवश्यक है। अर्थात् – (1) या तो ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील योजित नहीं है या (2) एक अपील योजित है, लेकिन, वरीयता में नहीं है। धारा 219 की उप-धारा (2) आगे उल्लेखित करती है कि एक व्यक्ति, जिसने एक बार धारा 219 के अंतर्गत पुनरीक्षण का लाभ उठाया है वह पुनः मामले का धारा-219 के अंतर्गत पुनरीक्षण नहीं कर सकता है।

17. उत्तरदाता संख्या 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज पुरोहित, की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि विवादित सम्पत्ति को बंधक रखे जाने के पश्चात् कोई इकरारनामा भी नारायण सिंह द्वारा यू0पी0एफ0सी0 के पक्ष में निष्पादित किया गया था, चूंकि, नारायण सिंह द्वारा अपने विधिक अधिकार को उक्त इकरारनामे के माध्यम से यू0पी0एफ0सी0 के पक्ष में त्यागा जा चुका है। उनके द्वारा आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया है कि एक पंजीकृत विक्रय विलेख को एक समझौते के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। चूंकि करार का निष्पादन सौ रूपए के स्टाम्प पर हुआ है। जिसकी कानून की दृष्टि में कोई वैधता नहीं है। किसी भी पुनः हस्तांतरण विलेख का पुनः पंजीकृत एवं स्टाम्प होना आवश्यक है।

18. जैसा कि, याचिकाकर्ता द्वारा तहसीलदार द्वारा नामांकन हेतु पारित आदेश जो कि राजस्व परिषद द्वारा पुष्ट किया गया था, को चुनौती दी गई है। धारा 40-क, राजस्व अधिनियम, 1901 यह उल्लेखित करता है कि सक्षम न्यायालय द्वारा स्वामित्व के अधिकार के आधार पर यदि कोई अनुतोष दिया जाता है, तो नामांतरण कार्यवाही में पारित आदेश किसी भी वाद को वर्जित नहीं करेगी।

19. कानून की यह सुस्थापित स्थिति है कि नामांतरण केवल राजस्व के उद्देश्य के बाबत होता है न कि अधिकार निर्धारण हेतु। स्वामित्व और सम्पत्ति पर अधिकार निर्धारण केवल नियमित वाद के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है।

20. माननीय उच्चतम न्यायालय ने एच लक्ष्मैया रेड्डी बनाम एल वेंकटेश रेड्डी, (2015) 14 एससीसी 784, के मामले में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:—

“8. जैसा कि अपीलकर्तागण की ओर से उपस्थित वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रथम प्रतिवादी संपत्ति के संबंध में अपना आधा हिस्सा किसी भी समय त्याग अथवा छोड़ नहीं सकता है और न ही यह मामला वादी की ओर से उठाया गया है। उच्च न्यायालय की धारणा के अनुसार नामांकन के परिणामस्वरूप, प्रथम प्रतिवादी द्वारा शीर्षक एवं कब्जे से स्वयं को अलग करना गलत है। नामांकन प्रविष्टियां केवल भू राजस्व को प्राप्त करने बाबत होती हैं, वह किसी भी स्थानांतरण एवं परित्याग बाबत नहीं होती है। जिसकी प्रासंगिक टिप्पणी बलवंत सिंह के मामले में दी गई है, जो इस प्रकार है:—

“21. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुती पर विचार किया है और हमारा विचार है कि श्री सान्याल का यह तर्क सही है कि नामांकन के परिणामस्वरूप क्रमांक 1311 दिनांक 19-7-1954 में दुर्गा देवी का उस तारीख से शीर्षक और कब्जा समाप्त हो गया था। जिस तिथि को उनके पक्ष में नामांतरण हुआ है। सावर्णी बनाम इंदर कौर में, पटनायक जे द्वारा यह कहा तथा यह अवधारित किया कि— (एससीसी पृष्ठ 227, पैरा 7)

‘7 राजस्व अभिलेखों में किसी सम्पत्ति के नामांकन से किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के संबंध में न तो अधिकार सृजित होते हैं और न ही समाप्त होते हैं। यह केवल उसी व्यक्ति को भू राजस्व अदा करने हेतु सक्षम बनाता है। विद्वान अपर जिला न्यायाधीश ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में पूरी तरह से गलती की है कि इंदर कौर के पक्ष में हुआ नामांकन उनके पक्ष में स्वामित्व स्थानांतरित होता है। यह गलत निष्कर्ष पूरे निर्णय को निष्प्रभावी करता है।

22. उपरोक्त कानूनी स्थिति को लागू करते हुए, हम अवधारित करते हैं कि नामांकन के आधार पर विधवा ने अपना स्वामित्व नामांकन संख्या 1311 दिनांक 19-7-1954 के आधार पर अपने अधिकार को नहीं छोड़ा था। अवर न्यायालय की यह अवधारणा कि नामांकन परिणामस्वरूप, विधवा ने अपना स्वामित्व व कब्जा त्यागा था, गलत है। अगर ऐसा है, कानूनी तौर पर, वह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने से कब्जे में थी तथा और वह, एक पूर्ण के रूप में मालिक तथा उसके पास वादग्रस्त सम्पत्तियों को किसी भी तरीके से जैसी उसकी इच्छा हो प्रयोग करने का अधिकार था।

इन परिस्थितियों में, हमारी राय में, कि उच्च न्यायालय ने पहले यह निष्कर्ष निकालने में गलती की है प्रतिवादी ने अपने आचरण से सहमति व्यक्त की थी और वाद में अपने आधे हिस्से के अधिकार से स्वयं को वंचित कर लिया तथा उक्त त्रुटिपूर्ण परिणाम निरस्त किए जाने योग्य है। ”

21. यह तय है कि नामांकन की प्रक्रिया किसी पक्ष पर किसी अधिकार एवं स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं कर सकता है और न ही किसी पक्ष के

कोई अधिकार और स्वामित्व रद्द कर सकता है। सामान्य रूप से नामांकन जमीन पर कब्जे के आधार पर राजस्व को एकत्रित करने के उद्देश्य से किया जाता है।

22. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, 2021 एससीसी में ऑनलाइन एससी 802, में नामांकन प्रक्रिया के क्षेत्र को उल्लेखित किया है। उक्त का प्रासंगिक उद्धरण निर्णय नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: —

“6. यह विवाद नहीं है कि राजस्व अभिलेखों में नामांतरण प्रविष्टि के संबंध में विवाद है। याचिकाकर्ता ने यहां आवेदन दिया है कथित वसीयतनामा दिनांकित 20.05.1998 जो कि श्रीमती अनंती बाई द्वारा निष्पादित किए गए थे, उस आधार पर याचिकाकर्ता का नाम, नामांकित किया जाए। यहां तक कि याचिकाकर्ता के अनुसार भी, श्रीमती अनंती बाई की मृत्यु 27.08.2011 को हो गई। अभिलेख से पता चलता है कि नायब तहसीलदार के समक्ष दिनांक 09.08.2011 को आवेदन दिया गया, जो कि श्रीमती अनंती बाई की मृत्यु से पहले दिया गया था। यह विवादित नहीं किया जा सकता है कि वसीयत के आधार पर अधिकार को निष्पादक की मृत्यु के बाद ही उस पर दावा किया जा सकता है। जहां वसीयत स्वयं विवादित हो। जैसा हो सकता है, विधि के अनुसार नामांकन प्रविष्टियां किसी पक्षकार के पक्ष में किसी अधिकार, स्वामित्व प्रदान नहीं करती है। वह मात्र राजस्व संबंधी अधिकार प्रदान करती है। यह भी सुस्थापित सिद्धांत है, यदि स्वामित्व के संबंध में कोई विवाद होता है तथा मुख्य रूप से जबकि नामांकन प्रविष्टियां किसी वसीयत के आधार पर होती हैं, उस स्थिति में यदि कोई पक्षकार स्वामित्व/अधिकार का दावा करता है, तो उस, स्थिति में उसे सिविल न्यायालय के समक्ष जाना चाहिए तथा वहां से अपने अधिकार साबित करा सकते हैं तथा उसके आधार पर ही नामांकन प्रविष्टियां कराई जा सकती हैं।

7. 1997 से ही कानून बहुत स्पष्ट है। बलवंत सिंह बनाम दौलत सिंह (डी) बाय लार्स। (1997) 7 एससीसी 137 में, इस न्यायालय ने नामांकन के प्रभाव पर विचार करने का अवसर मिला था और यह अवधारित किया था कि राजस्व अभिलेखों में संपत्ति के संबंध में नामांकन किसी भी पक्षकार का उस संपत्ति पर कोई स्वामित्व बनाता है और न ही समाप्त करता है और न ही उक्त संपत्ति के स्वामित्व की कोई उपधारणा करता है। उक्त प्रविष्टियां केवल भूमि के राजस्व को प्राप्त करने हेतु प्रदान की जाती है। यही विचार अनेक निर्णयों में अवधारित किया है।

8. सूरजभान बनाम वित्तीय आयुक्त, (2007) 6 एससीसी 186, में भी यह अवधारित किया गया है कि जिस व्यक्ति का नाम अधिकारों के अभिलेखों में दर्ज होता है, उसके ऊपर राजस्व अभिलेखों में वर्णित व्यक्ति के नाम कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियां केवल राजस्व के उद्देय के लिए होती हैं, जैसा कि भू राजस्व के भुगतान और उक्त प्रविष्टियां किसी व्यक्ति को स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती। यह भी अवधारित किया कि जहां तक स्वामित्व का प्रश्न है, यह केवल सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। समान

दृष्टि सुमन वर्मा बनाम भारत संघ, (2004) 12 एस0सी0सी0 58 फखरुदीन बनाम ताजूदीन, (2008) एस0सी0सी0 12, राजेंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ जे0एड0के0, (2008) 9 एस0सी0सी0 368, नगर निगम औरंगाबाद बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2015) 16 एस0सी0सी0 689, टी रवि बनाम बी0 चिन्नानरसिम्हा बनाम आर्थर आयात एवं निर्यात कंपनी, (2019) 3एस0सी0सी0 191 प्रहलाद प्रधान बनाम सोनू कुम्हार, (2019) 10 एस0सी0सी0 259, अजित कौर बनाम दर्शन सिंह (2019) 13 एस0सी0सी0 “

23. चूंकि नामांकन प्रक्रिया के संबंध में पारित आदेश अंतिम नहीं होता है। स्वामित्व के प्रश्न एवं स्वामित्व केवल एक सक्षम न्यायालय द्वारा तय किया जा सकता है, इसलिए, यह न्यायालय, नामांकन कार्यवाही के संबंध में तहसीलदार और राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश में संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी शक्ति का प्रयोग कर हस्तक्षेप करने से इंकार करती है।

24. तदनुसार, रिट याचिका विफल और खारिज की जाती है। हालांकि तहसीलदार का आदेश जो कि राजस्व मंडल द्वारा पुष्ट किया गया है याचिकाकर्ता को बाधित नहीं करता है, यदि वह सक्षम न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि के संबंध में वाद योजित करता है।

25. अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, निरस्त किया जाता है।

(मनोज कुमार तिवारी, जे.)